आरक्षी केन्द्र चरगवां विरूद्ध अंजली सिंह राजपूत

न्यायालय : उजाला झा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला–जबलपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक	आर.सी.टी. / 389 / 2021
फाईलिंग नंबर	आरसीटी / 1162 / 2021
सीएनआर. नंबर	एम.पी.2006–001336–2021
संस्थित दिनांक	07.07.2021

(प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र चरगवां, जिला जबलपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री दुर्गेश ताराम, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	अंजली पति अक्षय राजपूत, निवासी–कमोद, पुलिस थाना गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मुकेश गुप्ता अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	03.07.2021
प्र.सू.रि. की तिथि	03.07.2021
अभियोग पत्र की तिथि	07.07.2021
आरोपों के विरचना की तिथि	03.09.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	–
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	03.09.2022
निर्णय की तिथि	03.09.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	03.09.2022

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की	अपराध जिनका आरोप है	दोष मुक्ति या दण्डा	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोज

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20060013362021-orderno-1.pdf

			तिथि		देश		नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	अंजली सिंह राजपूत	—	—	धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम, 1988	दण्डा देश	मो.या.अ.नि. की धारा 5/180 में 5,000/—रू. के एवं धारा 146/196 में 2000/—रू.के अर्थदण्ड	कुछ नहीं।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
—	—	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :—

स.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	—	—

———————————————————————————————

आरक्षी केन्द्र चरगवां, के अपराध क्रमांक 252/2021 अपराध अंतर्गत धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम, 1988 से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।

———————————————————————————————

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20060013362021-orderno-1.pdf

//निर्णय//
(आज दिनांक 03.09.2022 को घोषित)

01– अभियुक्त अंजली राजपूत के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 5/180, 146/196, के अंतर्गत इस आशय का अभियोग है कि उसने दिनांक 03.07.2021 को दोपहर 1:50 बजे या उसके लगभग, ग्राम भीकमपुर, मुख्य सड़क, अंतगत थाना चरगवां, जिला–जबलपुर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक–एमपी–49–ए.बी.–0679 को सार्वजनिक स्थान पर योगेन्द्र श्रीपाल से चलवाया या चलाने की अनुज्ञा दी, जो उक्त मोटरयान को चलाने के लिए किसी प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत नहीं था तथा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान में सार्वजनिक स्थान पर उक्त वाहन का उपयोग योगेन्द्र श्रीपाल को करने दिया, जिसके उपयोग के संबंध में बीमा पॉलिसी प्रवृत्त नहीं थी।

02– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना चरगवां पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक दिनांक 03.07.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम भीकमपुर मेन रोड पर पहुंचे जहां पर सोनालिका ट्रेक्टर मय ट्राली आता दिखा, जिसे रोकने पर ट्राली फुल रेत से भरी थी। ड्रायवर से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम योगेन्द्र पिता कैलाश श्रीपाल, उम्र–19 वर्ष, निवासी–ग्राम झोझी, अंतर्गत थाना शहपुरा, जिला जबलपुर होना बताया। रेत के संबंध में वैधता के दस्तावेज पूछे जाने पर कोई दस्तावेज न होना बताया एवं रेत को नर्मदाघाट भीकमपुर से स्वयं के उपयोग के लिए वाहन स्वामी अंजली राजपूत से बिना पूछे नर्मदाघाट से रेत चोरी कर ले जाना बताया। उक्त आधार पर मौका पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी योगेन्द्र के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने वाहन स्वामी अंजली सिंह से ट्रेक्टर स्वयं की बखरनी के लिए कहकर ले जाना, मालिक की मर्जी के बिना ट्राली में रेत की रायल्टी नहीं कटवाया जाना, बताया। उक्त पर से अभियुक्त योगेन्द्र के विरूद्ध धारा 379, 4/21, 53 म.प्र. गौड खनिज

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20060013362021-orderno-1.pdf

अधिनियम 1996 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ट्रेक्टर, ट्राली जप्त की गई। योगेन्द्र को धारा 41 (क) का नोटिस देकर छोड़ा गया। विवेचना के दौरान नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त योगन्द्र द्वारा ड्रायविंग लाइसेंस तथा वाहन का बीमा पेश नहीं करने से धारा 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम बढाई गई। वाहन स्वामी अंजली सिंह पति अक्षय सिंह राजपूत द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाने दिया, जिससे प्रकरण में धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम बढ़ाई गई। वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया। एवं अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही उपरांत मामला सिद्ध पाए जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे निर्णय की कंडिका 01 के अनुसार अपराध का आरोप पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर एवं पूछे जाने पर कि वह दोषी होने का अभिवाक् करती है या विचारण किए जाने का दावा करती है, तब अभियुक्त के द्वारा अपराध करना **स्वीकार** किया गया।

04— अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक् करने के परिणाम बताये जाने पर अभियुक्त ने बिना किसी डर, दबाव, लालच या भय के अपराध किया जाना स्वीकार किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने उस पर अभियोजित अपराध का करना स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया है।

05— अभियुक्त के द्वारा अपराध का दोषी होने का अभिवाक् करने के आधार पर यह साबित है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.07.2021 को दोपहर 1:50 बजे या उसके लगभग, ग्राम भीकमपुर, मुख्य सड़क, अंतगत थाना चरगवां, जिला—जबलपुर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एमपी—49—ए.बी.—0679 को सार्वजनिक स्थान पर योगेन्द्र श्रीपाल से चलवाया या चलाने की अनुज्ञा दी, जो उक्त मोटरयान को चलाने के लिए किसी प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत नहीं था तथा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान में सार्वजनिक स्थान पर उक्त वाहन का योगेन्द्र श्रीपाल को उपयोग करने दिया, जिससे उपयोग के

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20060013362021-orderno-1.pdf

संबंध में बीमा पॉलिसी प्रवृत्त नहीं थी। फलतः अभियुक्त अंजली सिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 एवं 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

06— अतः अभियुक्त अंजली सिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराध में 5,000/—रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 146/196 के अपराध में 2000/—रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर 20—20 दिवस का साधारण कारावास पृथक् से भुगताया जावेगा।

07— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एमपी—49—ए.बी. —0679 मय ट्राली पूर्व से वास्तविक स्वामी के पास सुपुर्दनामा पर है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

08— प्रकरण में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 के प्रावधानुसार अभियुक्त द्वारा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहने के संबंध में प्रमाण पत्र तैयार कर सलंग्न किया गया, जो निर्णय का भाग माना जावेगा।

09— निर्णय की एक प्रति धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 के प्रावधानुसार अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे आलेख पर टंकित किया गया हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया।

सही/—
(उजाला झा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.)

सही/—
(उजाला झा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.)

UJALA JHA
Digitally signed by UJALA JHA
Date: 2022.09.03 17:50:37 +0530

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20060013362021-orderno-1.pdf